न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -52/2023

अनवान

ओमप्रकाश मीणा पिता श्री नन्दलाल मीणा, जाति मीणा, उम्र बालिग, निवासी नागणी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-अप्रार्थी

बनाम

रतनलाल मीणा पिता श्री हीरालाल जी मीणा, जाति मीणा, उम्र 66 वर्श, निवासी बाड़ोलिया, हाल मुकाम नहर के पास, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

अप्रार्थीगण/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री बाबूराम देराश्री अभिभाषक वादी।
श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 22.04.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है हि प्रार्थी वादी ने उक्त अनुवान सदर का एक वाद-पत्र न्यायालय श्रीमान् में विरूद्ध विपक्षी प्रतिवादी प्रस्तुत कर दिया है जो सशक्त आधारों पर आधारित होकर अवश्य ही वादी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होगा किन्तु वाद-पत्र के निर्णित होने में समय लगने की संभावना है इस कारण यह प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादी प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है। प्रार्थी के स्वामित्व एवं खातेदारी रिकॉर्ड की कृषि भूमियाँ जो ग्राम जावराखुर्द प0ह0 बाड़ोलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 12 में दर्ज खसरा संख्या 23/577 रकबा 0.43 हैक्टेयर लगान 3.87 पैसा जो कि वादी ओमप्रकाश मीणा के नाम खाते दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है जिस पर कदीवी समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त वर्णित कृषि भूमियों पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है उक्त कृषि भूमियाँ प्रार्थी को अपने पिता के जीवनकाल से ही विरासत में प्राप्त हुई थी तथा प्रार्थी एवं विपक्षी के पिता ने कृषि भूमियों का बंटवारा कर दिया था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् उक्त कृषि भूमियाँ खसरा संख्या 23/577 रकबा 0.4300 हैक्टेयर प्रार्थी के हिस्से आई जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु विपक्षी के मन में लालच एवं बदयान्ती आ गई तथा वह इन कृषि भूमियों को प्रार्थी से जबरन छीनकर इन पर काबिज हो जाना चाहता है तथा वादी को बार-बार कृषि कार्य करने से रोक देता है तथा स्वयं इन्हें हांक जोत कर जबरन बुआई कर देता है जिसे जरिये निषेधाज्ञा रोका जाना न्यायोचित हैं। इस दौरान विपक्षी रतनलाल मीणा ने उक्त कृषि भूमियों पर नाजायज कब्जा कर काबिज हो काश्तकारी करने लग गया जिसका कानूनन उसे कोई अधिकार नहीं है क्योकि यह कृषि भूमियाँ प्रार्थी ओमप्रकाश मीणा के नाम खाते दर्ज रिकॉर्ड है जिसे वह अवैध रूप से नाजायज अतिक्रमण कर प्रार्थी को जबरन बेदखल करके अपने नाम खातेदारी से घोषित करवाना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है क्योकि विपक्षी रतनलाल गलत रूप से उक्त आराजी पर काबिज हो गया है जिसे बेदखल कर उक्त कृषि भूमियों का कब्जा प्रार्थी ओमप्रकाश मीणा को दिलाया जाना न्यायोचित है तथा उक्त कृषि भूमियों पर वादी ओमप्रकाश मीणा को रिकॉर्ड खातेदार होने से यह कृषि भूमियाँ उसी के नाम खातेदारी की घोषणा किया जाना भी न्यायोचित हैं। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी रिकॉर्ड की उक्त चरण संख्या में वर्णित कृषि भूमियों पर जबरन कब्जा कर हंकाई-जुताई एवं बुआई करने तथा काश्तकारी कार्य करने से रोका जाए तथा पाबन्द किया जाए कि वह न उक्त कृषि भूमियों पर काश्तकारी करे न ही किसी और से करवाये तथा प्रार्थी वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप मदाखलत, अवरोध, दस्तन्दाजी न तो स्वयं करे न ही किसी दिगर व्यक्ति से करवावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.07 11:30:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी को प्रकरण में लगातार 12 अवसर दिए गए किन्तु अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थी का जवाब बन्द किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं खातेदारी रिकॉर्ड की कृषि भूमियाँ जो ग्राम जावराखुर्द प0ह0 बाड़ोलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 12 में दर्ज खसरा संख्या 23/577 रकबा 0.43 हैक्टेयर लगान 3.87 पैसा जो कि वादी ओमप्रकाश मीणा के नाम खाते दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है जिस पर कदीमी समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी एवं विपक्षी के पिता ने कृषि भूमियों का बंटवारा कर दिया था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् उक्त कृषि भूमियाँ खसरा संख्या 23/577 रकबा 0.4300 हैक्टेयर प्रार्थी के हिस्से आई जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु विपक्षी के मन में लालच एवं बदयान्ती आ गई तथा वह इन कृषि भूमियों को प्रार्थी से जबरन छीनकर इन पर काबिज हो जाना चाहता है। वादी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी रिकॉर्ड की उक्त चरण संख्या में वर्णित कृषि भूमियों पर जबरन कब्जा कर उन पर हंकाई-जुताई एवं बुआई करने तथा काश्तकारी कार्य करने से रोका जाए तथा विपक्षी को पाबन्द किया जाए कि वह न तो उक्त कृषि भूमियों पर काश्तकारी करे न ही किसी और से करवाये तथा प्रार्थी वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप मदाखलत, अवरोध, दस्तन्दाजी न तो स्वयं करे न ही किसी दिगर व्यक्ति से करवावें। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि आराजी संख्या 23/577 रकबा 0.43है0 पर अप्रार्थी का कदीमी समय से कब्जा होकर काश्त कार्य किया जा रहा है। पत्रावली में शामिल पटवारी साहब द्वारा तहसीलदार महोदय को प्रस्तुत रिपोर्ट मे साबित हो रहा है। प्रार्थी ओमप्रकाश का कब्जा आराजी संख्या 28 रकबा 1.27है0 भूमि में से 0.45है0 पर कब्जा है जो बिलानाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के कथन असत्य है उसका कब्जा आराजी संख्या 23/577 पर कभी रहा ही नहीं उक्त आराजीयात पर हमेशा से हमारा कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी के नाम त्रुटिवश उक्त आराजीयात राजस्व दर्ज रिकार्ड हो गयी है जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के निस्तारण के समय पर साबित हो जाएगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-212 आर.टी.ए. अस्थाई निषेधाज्ञा का खारीज फरमाया जावें।

-:आदेश:-

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया जो ग्राम जावराखुर्द प0ह0 बाड़ोलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 12 में दर्ज खसरा संख्या 23/577 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि ओमप्रकाश पुत्र नन्दलाल जाति मीणा के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है, किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के निस्तारण होने पर ही साक्ष्य सबूतों के आधार पर विवादित आराजी की नये व पुराने नम्बरों की वस्तुस्थिति स्पष्ट होना प्रतित होती है, प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी का होना साबित होता है, वर्तमान में सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में अधिक है, किन्तु रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार कब्जा अप्रार्थी का है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अपने अपने आराजी मे काश्त, अन्य कार्य करे व उक्त विवादित आराजीयात को क्रय, निर्माण कार्य इत्यादि ना तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.07 11:30:51 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला-चितौड़गढ़